

भाग - 2

(संबंधित वन उपसंरक्षक के द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम / दिनांक.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान - मेसर्स गुप्ता स्टोन माइंस, बिलासपुर छ.ग.
ग्राम डूमरपारा तहसील सक्ती, जिला - जांजगीर-चौपा।

क्रमांक	वांछित जानकारी	विवरण
1.	2.	3.
1.	राज्य/संघ शासीत क्षेत्र	छत्तीसगढ़
2.	जिला	जांजगीर-चौपा
3.	वन प्रभाग	जांजगीर-चौपा वन मण्डल
4.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	आर.एफ. 44 रकबा 1.18 हेक्टेयर
5.	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
6.	हरियाली का घनत्व	0.6
7.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किया जावे) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध एफ. आर.एल.एफ. 4 मीटर भी संलग्न किया जावे।	आवश्यकता नहीं है।
8.	भूरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवश्यकता नहीं है।
9.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	लगा हुआ है।
10.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बांध, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्योरा, और प्रमुख वन जीव वार्ड की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जावे।	आवेदित क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व बांध, हाथी कॉरीडोर आदि नहीं है। वर्तमान में या प्रस्तावित नहीं है।
11.	क्या क्षेत्र में वनस्पती और प्राणी जाति की दुर्लभ/ संकटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा दें।	आवेदित क्षेत्र में कोई भी वनस्पती और प्राणी जाति की दुर्लभ/ संकटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती है,
12.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से समक्ष प्राधीकरण जिला वन संरक्षक की स्थल निरक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न)	कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय/ परांपरीक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक आवेदित क्षेत्र में स्थित नहीं है। संलग्न पेज क्रमांक
	विभाग / जिला प्रोफाईल	जांजगीर-चौपां
	1. जिले की भौगोलिक क्षेत्र	446674.000 हेक्टेयर

	2. जिले का वन क्षेत्र	25006.600 हेक्टेयर
	3. मामलों की संख्या सहित 1980 के वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	
	4. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	क. दण्ड के रूप में प्रतीपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	4.541 हेक्टेयर
	ख. वनेत्तर भूमि	
	5. 24.12.2012 तक प्रतीपूरक वनीकरण में हुई प्रगति।	153.00 नारंगी वन क्षेत्र
	क. दण्ड के रूप में प्रतीपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	41.790 हेक्टेयर
	ख. वनेत्तर वन भूमि	
13.	प्रस्ताव की स्वीकृत करने अथवा / प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस	अनुशंसित

वनमंडल अधिकारी
जांजगीर-चौपा वन मंडल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, चण्डी

मे. गुप्ता स्कैन माईन्स
प्रोप्राईटर

उप वन मंडल अधिकारी
जांजगीर-चौपा (उ.न.)

वनमंडल अधिकारी
जांजगीर-चौपा वनमंडल
(श्री दिनेश कुमार पटेल)
१०/६/१०